

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-192 /2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कौशिकी रंजन वर्मा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के दिनांक-07.07.2026 से 09.08.2026 तक (कुल-34) चौतीस दिनों तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक- 01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1050(2), दिनांक-18.05.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इस अवकाश के पश्चात डा० वर्मा के पक्ष में 696 (छः सौ छियानवे) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-192/2026- 2352(2) पटना, दिनांक 25/9/2026

प्रतिलिपि: महालखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना / भाषागार पदाधिकारी, पटना / डा० कौशिकी रंजन वर्मा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/11/2026
सरकार के उप सचिव।

६